



समता और स्वाभिमान के लिए



जुल्म ज्यादाती से छुटकारा पाने के लिए
उत्तम क्वालिटी की शिक्षा के लिए
आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए
महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए
पर्याप्त स्वाद, बीज और बिजली के लिए
हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए
फ्री इलाज और दवा के लिए
रु 40,000 वार्षिक महिला अनुदान के लिए

समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें!
डॉ० सनत राजपूत

मो.: 9616650782
231 चरखारी विधान सभा



आवास : 107, गोविन्द नगर कुलपहाड़, जिला महोबा (उ.प्र.)



वार्षिक
सदस्यता शुल्क
100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्रिका



अक्टूबर-2026

वर्ष - 18

अंक : 09

मूल्य : 5/-



Youtube पर @dravid bharaat hindi को Subscribe करें और दबायें।

गणतंत्र आर्मी

(गणतंत्र आर्मी का संगठन द्रविड़ भारत समाचार पत्रिका द्वारा संचालित किया जा रहा है।)

उद्देश्य - सामाजिक गणतंत्र स्थापित करना है।

संस्थापक सदस्य

इंजी. के. के. लाल (9336765798), लखनऊ
उमेश्वरी देवी (एडवोकेट) (9005204074)
के. के. श्रीवास्तव (9839263541), कानपुर
महेन्द्रनाथ (7007015518), मऊ

कमलेश कुमार प्रजापति (9452464646), बाँदा
संतोष लोधी (8808615697), कानपुर
सियाराम (9794352284), महोबा
बसन्तलाल अम्बेडकर (8351991276), उन्नाव



नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

300 यूनिट फ्री बिजली के लिए
किसानों का पूरा कर्ज माफ
प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त लैपटॉप
महिलाओं को ₹40,000 वार्षिक सहायता
शिक्षा पूरी तरह मुफ्त
गांव-गांव में बेहतर चिकित्सा सुविधा
हर ब्लॉक में समाजवादी एम्बुलेंस

जनता का हक दिलाएंगे, महोबा को आगे बढ़ाएंगे

अंशु रमेश चंद्र शिवहरे
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, महोबा
8004947713, 7607100111

230 विधान सभा महोबा

नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

संतोष कुमार धुरिया
जिला अध्यक्ष
कांग्रेस कमेटी जिला महोबा
मो.: 7398733729, 9140562108

नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

बृजेश कुमार
आयकर निरीक्षक
उपाध्यक्ष आयकर कर्मचारी महासंघ
सर्किल कानपुर रीजन
मो.: 7599101102

आर्यन कम्प्यूटर्स

- पैन कार्ड/खतौनी
- फोटो/फोटो कॉपी/लेमिनेशन
- हावाई यात्रा टिकट/बस टिकट
- रेलवे रिजर्वेशन टिकट
- आय, जाति, निवास
- पैसा जमा/पैसा निकासी
- बिजली बिल/ऑनलाइन फॉर्म
- सभी प्रकार की गाड़ियों का बीमा/प्रदूषण

आर्यन मेडिकल स्टोर

हमारे यहाँ पर अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक दवाएँ उचित रेट पर मिलती है।

नरेन्द्र प्रताप **कमलेश कुमार प्रजापति**
मो. : 6393117360 मो.: 9452464646

पता - कालू कुआँ बबेरु रोड, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने बाँदा

जनता की आवाज अब संसद तक

बंद करो ठगी हमें हमारा पैसा दो
भुगतान हमारा अधिकार है
जमाकर्ता एकता जिंदाबाद

जिला अध्यक्ष बांदा कमलेश कुमार

भुगतान हमारा अधिकार अब हम लेकर ही रहेंगे

सरकार को वैधानिक चेतावनी
अब और इंतजार नहीं - अब न्याय चाहिए

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन
एकता हमारी ताकत • संघर्ष हमारा अधिकार • भुगतान हमारा लक्ष्य

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा),
मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग),
मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम
(दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :

सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.),
मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841

हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख –

रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030

क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड,
कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631

ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :

राजकुमार, उन्नाव

मो.: 9889273743, 9392660070

हरियाणा राज्य :

डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.–
बहादुरगढ़, जिला-झज्जर (हरियाणा), 09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड.
यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह
राजपूत, एड. रमाकान्त घुरिया, रामऔतार वर्मा, एड.
सुशील कुमार, कानपुर

मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार

कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटोरिया, जिला-छतरपुर

छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख

रमा गजभिये, मो.: 7828273934

दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260,
हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई
दिल्ली-44, मो. : 09540552317

राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर,
दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने,
अलवर, जिला-अलवर-301001,

मो. : 09887512360, 0144-3201516

बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233

संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :

ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)

मो. : 9005204074, 8756157631

E-mail : dravinbharat1@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी

उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा
से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू
नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की
सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या
विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही
उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय
में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतया: अवैतनिक
एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –

भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784



द्रविड़ भारत

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्रिका

वर्ष – 18 अंक : 09 अक्टूबर-2026 मूल्य : 5/-

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सम्पादकीय	2
2.	गणतंत्र आर्मी का विधान व नियम	3
3.	भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है न कि लोकतंत्र	8
4.	गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर पर विशेष	12
5.	जागृती का दीपक हमेशा जलाये रखो !	13
6.	बाबा साहेब की नजर में बुद्ध	15
	हमें न बिकने वाले समाज का निर्माण करना है-कांशीराम	
7.	गणतंत्र आर्मी का सदस्यता आवेदन फार्म	16
विज्ञापन हेतु		
CBC NEWS PAPER CODE : 134545		

Youtube पर @dravid bharat hindi को
Subscribe करें और दबायें।

1

इंसानियत की जिन्दगी जीने के लिए बुद्ध धम्म की आवश्यकता-कांशीराम

(नागपुर)

“हजारों वर्षों से इस देश का दलित-शोषित समाज ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था का शिकार है। इस पीड़ित समाज को समानता का दर्जा देने के लिए, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म का रास्ता 14 अक्टूबर 1956 में अपनाया। उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात बाबा साहब द्वारा प्रारम्भ की गई धम्म-क्रांति को उनके सहयोगी सही दिशा में बढ़ा नहीं सके और आज भी उनका वह सपना अधूरा ही रह गया है। हम समझते हैं कि इस दिशा में कार्य करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए हमारे पास उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल कर हमें विशाल संघ का निर्माण करना है। इस संघ-शक्ति के आधार पर हम जो चाहेंगे वह प्राप्त कर पायेंगे। इसी संघ-शक्ति के आधार पर हम दलित-शोषित समाज को समता और स्वाभिमान के साथ जीने का माहौल निर्माण कर पाएंगे।”

उपरोक्त विचार बुद्धिस्ट रिसर्च सेन्टर के संस्थापक मा. कांशीराम जी ने बी.आर.सी. द्वारा 1 जनवरी 1984 को ‘अम्बाझरी गार्डन सांस्कृतिक भवन’ के मैदान में उपस्थित बौद्ध धर्मीय जनता को सम्बोधित करते हुए प्रकट किये।

धम्म क्रान्ति के सम्बन्ध में आगे बोलते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े जनसमुदाय की प्रगति के लिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। परन्तु धर्म परिवर्तन के 53 दिन के भीतर ही उनका परिनिर्वाण हुआ और उनके द्वारा शुरु की गई धम्म क्रान्ति जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए थी बढ़ नहीं सकी। उनकी इस धम्म क्रान्ति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके अनुयाइयों की थी। परन्तु निजी स्वार्थ के कारण वे भी इस धम्म क्रान्ति को आगे बढ़ा नहीं सके।

आगे आपने कहा— 1975 में इसी स्थान पर “बौद्ध शिखर परिषद’ का आयोजन किया गया था, जो 1956 की धम्म क्रान्ति के 18–19 वर्ष बाद का प्रयास था। इस परिषद में देश के कोने-कोने से बौद्ध धर्मीय नेतागण आये थे। विशाल स्तर पर आयोजित इस परिषद ने

बौद्ध धर्मीय जनता में आशा की एक नई ज्योति प्रज्वलित की थी। परन्तु आज 8 वर्ष के पश्चात भी धम्म प्रसार की दृष्टि से कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। इसीलिए फिर 8 वर्ष के पश्चात हम यहाँ इकट्ठे हुये हैं।

धम्म दीक्षा सम्मेलन की वर्षगांठ के सम्बन्ध में बोलते हुए कांशीराम जी ने कहा कि जब हम धम्म दीक्षा की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे थे, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा जिसमें दलितों द्वारा मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन की खबरें छपती थीं। इतना ही नहीं बल्कि मैंने यहाँ तक सुना कि नागपुर के कशीब ही एक देहात में एक बौद्ध धर्मीय परिवार मुस्लिम धर्म में प्रवेश करने वाला था, और विशेष यह कि यह धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम बाबा साहब के महापरिर्णाण दिवस के अवसर पर नियोजित था और विशेष आश्चर्य देने वाली बात यह थी कि इसे प्रोत्साहित करने में हमारे नेता ही आगे थे। इस बात का मुझे काफी दुख हुआ। मैं यह महसूस करने लगा कि इस दिशा में हमें कुछ करना होगा। इसी दृष्टिकोण को सामने रख हमने 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में बुद्धिस्ट रिसर्च सेन्टर की स्थापना की।

वर्तमान धार्मिक संस्थाओं की ओर इशारा करते हुए आपने कहा कि अगर वर्तमान धार्मिक संस्थाओं ने यह कार्य किया होता तो हमें नई संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होती। परन्तु मजबूर होकर हमें बी. आर.सी.का निर्माण करना पड़ा। मुझे मालूम है, नई संस्था का निर्माण यानि संघ शक्ति का विघटन। परन्तु बाबा साहब की धम्म क्रान्ति को सही दिशा और गति नहीं मिलने से हमें नई संस्था के माध्यम से इस कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ा।

आगे अपनी भूमिका अधिक स्पष्ट करते हुए मा. कांशीराम जी ने कहा-बामसेफ, डी-एस4, राजनीति आदि कई फ्रन्ट पर मेरे कार्यरत रहने पर कई लोगों ने यह शंका प्रकट की कि मैं धार्मिक आन्दोलन का विरोधी हूँ। परन्तु मेरी यह धारणा थी कि जब हमारे कुछ नेतागण इस कार्य में जुटे हुए हैं तब मुझे इस कार्य में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। परन्तु जब देखा कि यह कार्य जिस तरह चलना चाहिए उस तरह चल नहीं रहा और इसीलिए फिर मुझे इधर भी ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सम्पादकीय

जब मैं कुछ करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तब हमारे अपने लोग ही किस तरह रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, यह कहते हुए आपने कहा कि अगर वे स्वयम् कुछ नहीं कर सकते, तब कम से कम हमें तो समाज के लिए कुछ करने दें और हमारे रास्ते में रोड़े न अटकायें।

अन्त में आपने कहा कि अगर आज भी ये नेता और संगठन धम्म क्रान्ति को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और अगर वे ऐसा करने से हिचकिचाते हैं तो हमसे जितना बन पायेगा, हम करेंगे। लेकिन हम जो करेंगे उसकी जानकारी हर माह जनता को देते रहेंगे।

नागपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए आपने कहा कि इन तीन दिन के परिसंवाद के दौरान नागपुरवासी बौद्ध धर्मीय जनता ने जो सहयोग दिया और बाहर से आये अतिथिगण के प्रति जो आत्मीयता दर्शाई इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आगे भी यह सहयोग और प्रेम हमें मिलता रहेगा ऐसी अपेक्षा करता हूँ।

जनसभा को डा. भदन्त आनन्द कौसल्यायन (नागपुर), स्नेह कुमार चकमा (अगरतल्ला, त्रिपुरा), आर. डी. सुमन (नई दिल्ली), अनागरिका संघमित्रा (नासिक), भन्ते धम्म दीप (उत्तर प्रदेश), एड. पी.एस.धनवे (नांदेड़), के अलावा प्रो. अरुण चौधरी (दिल्ली), भन्ते शीलभद्र (इटवा), भन्ते बुद्ध शरण (फिरोजाबाद), प्रा. परमे राव (हैदराबाद) आदि ने सम्बोधित किया। भदन्त आनन्द का कौसल्यायन ने उपस्थित बौद्ध समुदाय को पंचशील और त्रिशरण ग्रहण करवाया। कार्यक्रम का संचालन पंडित राव सोनोने ने किया तथा आभार प्रदर्शन एस.के.पाटिल ने किया।

(बहुजन संगठक, वर्ष 4, अंक 45, 13 फरवरी, 1984)

साम्भार :
बहुजन संगठक में प्रकाशित
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण
पेज संख्या 259 से 261 तक
ए. आर. अकेला

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

2

अक्टूबर-2026

गणतंत्र आर्मी का विधान एवं नियम

अनुच्छेद-1

गणतंत्र आर्मी – शब्द की व्याख्या

गण – जनता या समूह (भिक्षुक)
तंत्र – ज्ञान का विस्तार करने वाला

“तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तन्त्रम्”

वह विद्या जो ज्ञान का विस्तार करे और विधि द्वारा रक्षा करने वाला शास्त्र है।

आर्मी – ARMY

A - Alert (चेतावनी)

R - Regular (नियमित)

M - Mobility (गतिशीलता)

Y - Youngster (नौजवान)

इसका मतलब होता है कि गणों एवं युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जा सकता है। यह आर्मी मुश्किल समय में देशवासियों को सुरक्षित रखने का काम करेगी।

गणतंत्र आर्मी के मूल्य

आर्मी के प्रत्येक सदस्य को निम्न 7 मूल्यों (Value) का पालन करना है।

1. वफादारी – वचन बद्धता
2. कर्तव्य – नैतिक कार्य
3. सम्मान – आज्ञा का पालन

4. निःस्वार्थ सेवा – प्रेम, दान और करुणा
5. गौरव – प्रतिष्ठा
6. सत्यनिष्ठा – और
7. व्यक्तिगत साहस

1. वफादारी

यह शब्द किसी के प्रति ईमानदारी प्रतिबद्धता और भरोसे को दर्शाते और वचन बद्धता महत्वपूर्ण है।

2. कर्तव्य

कर्तव्य का अर्थ “करने योग्य कार्य या धर्म है”, ये शब्द व्यक्ति के नैतिक या कानूनी दायित्व को दर्शाता है।

3. सम्मान – आज्ञापालन

सम्मान का अर्थ संगठन के लिए आज्ञा पालन है।

किसी दूसरे प्राणियों के लिए दिखाया जाने वाला आदर है जो किसी के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाना है।

जैसे – विद्वानों या ज्ञानी प्राणियों का सम्मान करना।

4. निःस्वार्थ सेवा

बिना किसी अपेक्षा के देना। यह शुद्धतम प्रेम दान और करुणा है। जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होता।

5. गौरव – प्रतिष्ठा

यह शब्द किसी के द्वारा समाज या राष्ट्र के लिए की गई अच्छी उपलब्धियों के कारण उत्पन्न

सम्मान की भावना को दर्शाता है। उदाहरण – यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं।

(यह सेवा से प्राप्त प्रतिफल है)

6. सत्यनिष्ठा (Integrity)

सत्यनिष्ठा का अर्थ है नैतिक सिद्धान्तों ईमानदारी और सच्चाई के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।

यह कथनी और करनी (बोलने और करने) में समानता, चरित्र की सुदृढ़ता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवहार को दर्शाता है।

सरल शब्दों में

“यह दबाव में भी सही काम करने की क्षमता है।”

7. व्यक्तिगत साहस

व्यक्तिगत साहस का अर्थ है कि विपरीत, डरावनी या जोखिम भरी नैतिक मूल्यों और सच का साथ देते हुए सही निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता।

यह निडरता के साथ-साथ अपने मन की बात सुनने, दृढ़ रहने और असफलता के डर के बावजूद आगे बढ़ने का गुण है, जो मानसिक शक्ति को दर्शाता है।

उदाहरण –

क) सत्य की राह पर चलना –

दूसरों के विरोध के बावजूद सच बोलना

ख) मुश्किलों में टिके रहना–

गंभीर बीमारी या व्यक्तिगत संकट में भी हौसला न खोना

ग) गलत का विरोध –

किसी के साथ अन्याय होते देख, बिना डर के उसका विरोध करना।

घ) जिम्मेदारी लेना –

अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना।

ङ) डर के बावजूद शुरुआत – अनिश्चितता या असफलता के डर के बावजूद किसी काम की शुरुआत करना।

अनुच्छेद – 1 (क)

गणतंत्र आर्मी का झण्डा

1. नीला (Blue)

दयालुता, शांति और सार्वभौमिक करुणा

2. पीला (Yellow)

मध्यमार्ग, त्याग और समृद्धि

3. लाल (Red)

ज्ञान, सदाचार और पवित्रता

4. सफेद (White)

पवित्रता और धर्म की शुद्धता

5. नारंगी/कषाय/केसरी (Orange/Saffron)

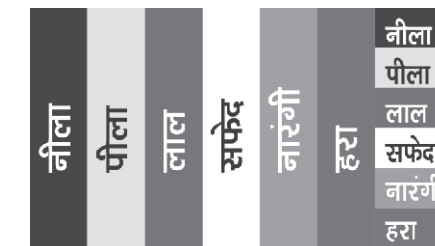
त्याग, वैराग्य और सेवा (भिक्षुओं का रंग)

6. हरा (Green)

हरा रंग जीवन का प्रतीक है

जो प्रकृति के नवजीवन के संकेत के रूप में परिलक्षित होता है।

यह जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और संतुलन को दर्शाता है।



ध्वज के छह ऊर्ध्वाधर बैंड आभा के छह रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

छः अन्य रंग के आयताकार बैंड के एक समायोजन से बना है और आभा के स्पेक्ट्रम में अन्य छः रंगों में से एक यौगिक का प्रतिनिधित्व करता है।

इस यौगिक रंग (प्रकाश का स्तर) प्रभासार के रूप में जाना जाता है।

(प्रकाश स्पेक्ट्रम का प्रतीक है)

ध्वज के बीच में गणतंत्र आर्मी लिखा होगा।



अभिवादन प्रतीक वाक्य

जय गणतंत्र, जय संविधान, जय प्रकृति

अनुच्छेद – 2

–: उद्देश्य :-

1. सामाजिक गणतंत्र स्थापित करना है। यह केवल सरकार के चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना है।

2. हम भारत के लोग भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व – संपन्न, समाजवादी, पंक्ष निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को –

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी गणतंत्र आर्मी सभा में आज एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत (स्वीकार) अधिनियमित (विधि सम्मत बनाना) और आत्मर्पित (स्वयं को समर्पित करना) करते हैं। गणतंत्र आर्मी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखती है।

3. भारत के नागरिक को हर सम्भव प्रत्येक क्षेत्र में सहायता करना।

Youtube पर @dravid bhara hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

3

अक्टूबर-2026

Youtube पर @dravid bhara hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

4

अक्टूबर-2026

4. भारत के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने में सहायता करना।

5. भारत के नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराने में सहायता करना।

6. भारत के नागरिकों को प्राकृतिक साधनों/संसाधनों का उपयोग और उनका संवर्धन और संरक्षण करने की शपथ दिलाना व नागरिकों के बीच प्रचार-प्रसार करना।

7. भारत के नागरिकों के बीच प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से होने वाले स्वास्थ्य लाभ का प्रचार प्रसार करना।

8. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन, रैली, और सभाओं का आयोजन/ज्ञापन देना आदि।

9. प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और उपयोग के माध्यम से प्राणियों के दुखों का निवारण करना है।

अनुच्छेद — 3 सदस्यता

1. कोई भी भारत का गण/नागरिक जिसकी आयु 18वर्ष हो चुकी हो जो गणतंत्र आर्मी के संविधान और विचारधारा में विश्वास रखता है वह गणतंत्र आर्मी का सदस्य बन सकता है।

2. सदस्यता शुल्क समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाएगी।

3. सदस्यता का वर्ष 01 जनवरी

से 31 दिसम्बर तक होगा और 31 दिसम्बर को समाप्त होने पर उक्त सदस्यता बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क/कार्यकाल प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य व पदाधिकारी को कार्यालय में जमा करनी होगी।

पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आवश्यकता पड़ने पर समय से पूर्व भी संगठनात्मक तंत्र/इकाइयों को भंग कर कार्य संचालन तंत्र व प्रतिनिधि तंत्र की घोषणा की जा सकती है।

अनुच्छेद — 4

गणतंत्र आर्मी के निम्नलिखित तंत्र होंगे

1. राष्ट्रीय स्थायी तंत्र
 - क) राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र
 - ख) राष्ट्रीय संचालन तंत्र
2. राज्य स्तरीय तंत्र
 - क) राज्य प्रतिनिधि तंत्र
 - ख) राज्य संचालन तंत्र
3. मण्डल स्तरीय तंत्र
 - क) मण्डल प्रतिनिधि तंत्र
 - ख) मण्डल संचालन तंत्र
4. जिला स्तरीय तंत्र
 - क) जिला प्रतिनिधि तंत्र
 - ख) जिला संचालन तंत्र
5. ब्लाक स्तरीय
 - क) ब्लाक प्रतिनिधि तंत्र
 - ख) ब्लाक संचालन तंत्र
6. ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र

क) ग्राम प्रतिनिधि तंत्र

ख) ग्राम संचालन तंत्र

प्रतिनिधि तंत्र — प्रतिनिधि तंत्र में मनोनीत, निर्वाचित और विशेष विद्वानों का प्रतिनिधित्व आपसी सहमति के आधार पर होगा, जिसमें (महिला और विकलांग) भी होंगे।

संचालन तंत्र — प्रतिनिधितंत्र के निर्देशों, आदेशों का पालन करते हुए निम्न कार्य करेगा।

Operation, Management, Control

संचालन, प्रबंधन, अनुशासन

मंच संचालन, मंच व्यवस्था

संचालन तंत्र का मनोनयन प्रतिनिधि तंत्र द्वारा राष्ट्रीय स्थाई तंत्र की स्वीकृत प्राप्त कर मनोनीत किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्थाई तंत्र का कार्य संचालन

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना है। गणतंत्र आर्मी के निर्माणकर्ताओं के नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होंगे राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र एवं राष्ट्रीय संचालन तंत्र सहित सभी स्तरीय तंत्र राष्ट्रीय स्थाई तंत्र के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे सभी स्तर के तंत्र में किसी सदस्य को मनोनीत करने, निष्कासित करने से पूर्व राष्ट्रीय स्थाई तंत्र की स्वीकृत प्राप्त करनी होगी। राष्ट्रीय स्थायी

तंत्र के चुनाव में स्थायी तंत्र के सदस्यों के अलावा किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। स्थायी तंत्र में एक ट्रस्टी और अन्य सदस्य होंगे। उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्थायी तंत्र का निर्माण किया जायेगा और पदाधिकारियों का मनोनयन किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्थायी तंत्र के पदाधिकारियों का विवरण

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष — 1
2. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष — 1
3. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष — 6
4. राष्ट्रीय महासचिव — 16
5. राष्ट्रीय सचिव — 16
6. राष्ट्रीय संगठन सचिव — 16
7. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष — 1
8. राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष — 1
9. कार्यालय मंत्री — 1
10. **राष्ट्रीय प्रवक्ता**

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. उर्दू
4. पंजाबी
5. गुजराती
6. तमिल
7. तेलगु
8. मराठी

9. कन्नड आदि भारत में बोली, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषाओं का कम से कम 01 और अधिकतम 02 प्रवक्ता मनोनीत किये जायेंगे।

आवश्यकता होने पर पदाधिकारियों की संख्या घटायी व बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रीय कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालय

गणतंत्र आर्मी का एक राष्ट्रीय मुख्यालय होगा जिसे सभी की सहमति से भारत के अन्दर कहीं भी बनाया/अधि सूचित किया जा सकेगा।

प्रदेश स्तरीय कार्यालय संगठन का प्रत्येक प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय मुख्यालय बनाया जाएगा जो कि उस प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत कहीं बनाया जा सकेगा।

जिला स्तरीय कार्यलय जिला सीमा ब्लाक स्तरीय कार्यालय ब्लाक सीमा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय

ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत बनाए जायेंगे।

अनुच्छेद — 5

पदाधिकारियों की शक्तियाँ और कार्य

राष्ट्रीय स्थाई तंत्र को मार्गदर्शन में उद्देश्यों की पूर्ति के कार्य करना **अध्यक्ष** — बैठकों/कार्यक्रमों की अध्यक्षता करना।

महासचिव — कार्यक्रमों/बैठकों का संचालन करना।

उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की सहायता करना और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का सम्पादन

करना।

संगठन सचिव — संगठन का कार्य करना।

कोषाध्यक्ष — गणतंत्र आर्मी के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।

सहकोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष की सहायता करना।

कार्यालय मंत्री — कार्यालय का संचालन देखरेख-आने जाने वालों की सहायता, मार्गदर्शन और सभी फाइलों का रख रखाव करना आदि।

अन्य पदाधिकारी गण उपरोक्त पदाधिकारियों की कार्य में सहायता करना। वितरित किये कार्यों का समय पर निष्पादन करना।

कार्यालय संचालन के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है उनका मानदेय अपने स्तर पर प्रत्येक स्तर के कार्यालय को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार होगा उसकी स्वीकृत राष्ट्रीय स्थाई तंत्र से लेना अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद — 6

प्रदेश स्तरीय तंत्र का निर्माण सदस्यों के निर्वाचन/मनोनयन 500 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जाएंगे।

मण्डल स्तरीय तंत्र का निर्माण

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

5

अक्टूबर-2026

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

6

अक्टूबर-2026

सदस्यों के निर्वाचन/मनोनयन 200 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जाएंगे।

जिला स्तरीय तंत्र का निर्माण

50 सदस्यों पर एक जिला प्रतिनिधि का मनोनयन होगा।

ब्लाक स्तरीय तंत्र का निर्माण

ब्लाक स्तरीय तंत्र का मनोनयन जिला प्रतिनिधि तंत्र द्वारा किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र का निर्माण

ग्राम पंचायत स्तरीय तंत्र का मनोनयन ब्लाक स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र द्वारा किया जाएगा।

अनुशासन समिति

किसी भी पदाधिकारी व सदस्य के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व भली-भांति जाँच-पड़ताल कर साक्ष्यों के साथ जिला स्तरीय प्रधिनिति तंत्र के माध्यम से प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र को भेजना होगा तदोपरान्त प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र राष्ट्रीय स्थाई तंत्र से स्वीकृत प्राप्त कर हटाने व उनके स्थान पर दूसरे में मनोनयन करने की कार्यवाही सम्पन्न करेगी। किसी भी शिकायत का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना होगा।

अनुशासन समिति का निर्माण

प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि तंत्र द्वारा राष्ट्रीय स्थायी तंत्र की स्वीकृत

प्राप्त कर अनुशासन समिति का निर्माण मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद — 7

कोष एवं लेखे

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोष का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षण कराया जाएगा। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय कार्यालय/प्रदेश कार्यालय में समुचित नगद राशि रखी जाएगी। आवश्यकता होने पर बैंक में जमा करा दी जाएगी। जिसकी सूचना राष्ट्रीय स्थाई तंत्र एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधि तंत्र को जमा रसीद सहित दे दी जाएगी।

अनुच्छेद — 8

बैठकों का कोरम

कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का कोरम होगा किंतु को रम पूरा न होने के अभाव में दुबारा बैठक बुलाई जाएगी यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो कार्यवाही लिखकर उसी तिथि में चार घंटे बाद पुनः बैठक सम्पन्न की जाएगी जिसमें कोरम पूरा होने की बाध्यता नहीं होगी।

संविधान संशोधन

गणतंत्र आर्मी के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुल राष्ट्रीय स्थायी तंत्र के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जाएगा।

विलयन, विभाजन और विघटन

गणतंत्र आर्मी के राष्ट्रीय स्थाई तंत्र के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

स्थायी तंत्र के पदाधिकारी गण

1. उमेश्वरी देवी — 9005204074 संस्थापक/ट्रस्टी
2. इंजी० के० के लाल — 9336765798 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
3. के० के श्रीवास्तव — 9839263541 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
4. महेन्द्र नाथ — 7007015518 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
5. कमलेश प्रजापति — 9452464646 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
6. संतोष लोधी — 8808615697 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
7. सियाराम — 9794352284 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
8. शैलेन्द्र कुमार — 9793880313 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य
9. बसन्तलाल अम्बेडकर — 8351991276 संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य

भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है न कि लोकतंत्र

— संकलनकर्ता — सियाराम

(संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य) गणतंत्र आर्मी

कार्यपालिका के प्रमुख के आधार पर वर्गीकरण :

यदि हम राष्ट्र प्रमुख (Head of State) के पद को देखें, तो संसदीय प्रणाली दो तरह की हो सकती है :

संवैधानिक राजशाही

(Constitutional Monarchy) : जहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत राजा के पास होता है (जैसे — ब्रिटेन, जापान)

संसदीय गणराज्य

(Parliamentary Republic): जहाँ राष्ट्र प्रमुख एक चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, न कि कोई राजा (जैसे— भारत, जर्मनी)।

भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System) के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) को मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों से चुना :

1. पहले से काम करने का अनुभव (Familiarity with the

system)

भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों (Government of India Acts) के तहत देश में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी।

लाभ: भारतीय नेता और अधिकारी इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझते थे।

निर्णय: आजादी के बाद नई व्यवस्था को शून्य से सीखने के बजाय, संविधान निर्माता उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे देश पहले से परिचित था।

2. उत्तरदायित्व को प्राथमिकता

(Responsibility over stability)

संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो चीजें देनी चाहिए — स्थायित्व (Stability) और उत्तरदायित्व (Responsibility)।

गणराज्य का कानूनी अर्थ (Republic) का

कानूनी अर्थ यह है कि देश का सर्वोच्च पद (राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि देश के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है।

मुख्य बातें और विशेषताएं :

चुना हुआ प्रमुख : राजतंत्र (Monarchy) के विपरीत, जहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है, एक गणराज्य में राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है—चाहे व प्रक्रिया सीधी हो (जैसे अमेरिका में) या अप्रत्यक्ष (जैसे भारत में)।

जनता की सर्वोच्च शक्ति : कानूनी और राजनीतिक रूप से, देश की संप्रभुता (Sovereignty) किसी एक राजा या राजवंश के पास नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों के जरिए शासन की बागडोर संभालती है।

कानून का शासन (Rule of Law) : गणराज्य में सर्वोच्च सत्ता संविधान और कानून के अधीन होती है, न कि किसी व्यक्ति

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

7

अक्टूबर-2026

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

8

अक्टूबर-2026

विशेष की मर्जी के अनुसार।

संसदीय प्रणाली के प्रकार
संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) अपने आप में सरकार का एक विशिष्ट प्रकार है, लेकिन दुनिया भर में इस लागू करने के प्रारूपों (Variants) में वर्गीकृत किया जाता है :

1. वेस्टमिंस्टर मॉडल (Westminster Model)
यह संसदीय प्रणाली का सबसे पारंपरिक और मूल रूप है, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन (U.K.) से हुई थी। भारत ने भी इसी मॉडल को अपनाया है।

वंशानुगत या चुनी हुई कार्यपालिका : इसमें राज्य का प्रमुख (Head of State) कोई राजा/रानी (जैसे ब्रिटेन में) या राष्ट्रपति (जैसे भारत में) हो सकता है, लेकिन वह केवल नाममात्र का प्रमुख (Nominal Head) होता है।

संसद की संप्रभुता (ब्रिटिश रूप में) : ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और वह कोई भी कानून बना सकती है जिसे कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता (हालांकि भारत में संविधान सर्वोच्च है)।

प्रमुख देश : यूनाइटेड किंगडम,

भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड।

2. सर्वसम्मति या बहुदलीय मॉडल :

(Consensus or Multi-Party Model)
यह मॉडल मुख्य रूप से महाद्वीपीय यूरोप (Continental Europe) के देशों में देखा जाता है।

गठबंधन सरकारें : यहाँ की चुनाव प्रणालियों (जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व) के कारण किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता है। इसलिए सरकारें हमेशा कई दलों के बीच व्यापक सहमति और समझौते से बनती हैं।

मजबूत समितियां : संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में केवल सत्ता पक्ष नहीं, बल्कि सभी दलों की समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

प्रमुख देश : जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, और बेल्जियम।

लाभ : भारत एक विशाल और अत्यधिक विविधता (विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां) वाला देश है। संसदीय प्रणाली कैबिनेट के माध्यम से अलग-अलग वर्गों के

नेताओं को सरकार में शामिल होने का अवसर देती है, जिससे देश में आपसी टकराव की संभावना कम होती है।

3. विविधता और अंतर्विरोधों से बचाव

(Avoiding Conflicts)
अध्यक्षीय प्रणाली में सारी शक्तियां एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं। यदि राष्ट्रपति और संसद अलग-अलग विचारधारा के हों, तो दोनों के बीच अक्सर टकराव होता है।

लाभ : भारत एक विशाल और अत्यधिक विविधता (विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां) वाला देश है। संसदीय प्रणाली कैबिनेट के माध्यम से अलग-अलग वर्गों के नेताओं को सरकार में शामिल होने का अवसर देती है, जिससे देश में आपसी टकराव की संभावना कम होती है।

संक्षेप में : संविधान निर्माताओं को डर था कि एक नवजात लोकतंत्र में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) को बहुत अधिक स्वतंत्र कर देने से देश तानाशाही की ओर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने ‘अधिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही’ वाले

मॉडल को चुना।

संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है?

भारत ने ब्रिटिश मॉडल को तो चुना, लेकिन भारतीय और ब्रिटिश संसद में क्या बड़ा अंतर है?

अध्यक्षीय प्रणाली (जैसे अमेरिका) : यह सरकार को अधिक स्थायित्व देती है क्योंकि राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसमें दैनिक जवाबदेही कम होती है।

संसदीय प्रणाली (जैसे भारत): इसमें सरकार (कार्यपालिका) को हर छोटे-बड़े फैसले के लिए संसद (विधायिका) के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। भारत जैसे नए आजाद हुए देश के लिए सरकार पर जनता के प्रतिनिधियों का दैनिक नियंत्रण होना बेहद जरूरी था।

व्यावहारिक उदाहरण से समझें (U.K. बनाम भारत)

कोई देश लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह गणराज्य भी हो। इसे इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है:

1. यूनाइटेड किंगडम (U.K.) : ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। वहाँ की

सरकार और प्रधानमंत्री को जनता चुनती है (लोकतंत्र), लेकिन देश का सर्वोच्च प्रमुख आज भी राजा या रानी (वंशानुगत पद) होता है। इसे ‘संवैधानिक राजतंत्र’ (Constitutional Monarchy) कहते हैं।

2. भारत और अमेरिका : भारत और अमेरिका लोकतंत्र भी हैं और गणराज्य भी। यहाँ सरकार भी जनता चुनती है और देश के सर्वोच्च प्रमुख (राष्ट्रपति) का पद भी किसी राजपरिवार के पास नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुना जाता है।

व्यावहारिक उदाहरण से समझें (U.K. बनाम भारत)

कोई देश लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह गणराज्य भी हो। इसे इन दो उदाहरणों से समझा जा सकता है:

लोकतंत्र (Democracy) और गणराज्य (Republic) के बीच का मुख्य अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसे काम करती है और देश का सर्वोच्च प्रमुख (Head of State) कौन होता है।

सरल शब्दों में : लोकतंत्र का संबंध इस बात से है कि शासन चलाने वाले प्रतिनिधि

जनता द्वारा चुने जाते हैं।

मुख्य अंतर (तुलना)	लोकतंत्र (Democracy)	गणराज्य (Republic)
मुख्य ध्यान	सरकार बनाने में जनता की हिस्सेदारी और बहुमत की इच्छा पर।	देश के सर्वोच्च पद (Head of State) के चुनाव और संविधान के शासन पर।
सत्ता का नियम	आमतौर पर बहुमत पर शासन (Rule of Majority) होता है।	कानून और संविधान का शासन (Rule of Law) होता है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है
शीर्ष पद	इसमें देश का प्रमुख कोई राजा भी हो सकता है (यदि वह केवल नाममात्र का हो)।	इसमें देश का प्रमुख कभी कोई राजा या तानाशाह नहीं हो सकता।

राजतंत्र बनाम गणराज्य (एक नजर में)	राजतंत्र (Monarchy)	गणराज्य (Republic)
विशेषता	वंशानुगत (पारिवारिक)	जनता द्वारा निर्वाचित
प्रमुख का चयन	राजा या राजपरिवार	जनता और संविधान
सत्ता का स्रोत	राजा या राजपरिवार	जनता और संविधान
उदाहरण	यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका

लोकतंत्र और गणतंत्र में मुख्य अंतर	लोकतंत्र (Democracy)	गणराज्य (Republic)
अंतर का आधार	लोकतंत्र	गणराज्य
मुख्य ध्यान	सरकार चुनने और फैसले लेने में जनता की भागीदारी।	देश के सर्वोच्च पद (Head of State) के चुनाव।
शीर्ष पद (मुखिया)	वंशानुगत भी हो सकता है (जैसे ब्रिटेन में राजा)।	हमेशा निर्वाचित (चुना हुआ होता है)
सत्ता का स्रोत	जनता (शासन संचालन के लिए)।	संविधान और कानून (सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित)।

गणराज्य का संबंध इस बात से है कि देश का सर्वोच्च प्रमुख (जैसे राष्ट्रपति) वंशानुगत (राजा) नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं।

लोकतंत्र और गणराज्य के बीच का मुख्य अंतर

क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? हाँ, ज्यादातर आधुनिक देश लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों होते हैं (जैसे भारत और अमेरिका), क्योंकि वहाँ सरकार भी जनता चुनती है और राष्ट्रपति भी चुना होता है। लेकिन ब्रिटेन एक लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहाँ सरकार जनता चुनती है (लोकतंत्र) पर देश का मुखिया राजा/रानी होता है (राजतंत्र)।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Current Preamble in Hindi) “हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण

प्रभुत्व – सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष

लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा

उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष

शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को

एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

क्या बदलाव हुए थे?

तीन नए शब्द जोड़ गए: 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), और Integrity (अखंडता) शब्दों को शामिल किया गया।

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के मूल संविधान (Original Constitution) की प्रस्तावना (Preamble) अंग्रेजी में इस प्रकार थी:

"We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation: IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY

ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION." मुख्य बाते:

मूल शब्द: 1950 की मूल प्रस्तावना में भारत को "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (सम्प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य) घोषित किया गया था।

बदलाव: बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें तीन नए शब्द – Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), और Integrity (अखंडता) जोड़े गए थे, जो कि 1950 की मूल प्रस्तावना में नहीं थे।

Indian Constitution Current Preamble in English

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thoughts, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर पर विशेष

सन् 1917 में मोटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि दलितों अछूतों को उस (सवर्ण) प्रजा द्वारा दबाया जा रहा है जो दलितों की तुलना में बहुत अधिक बलवान एवं चतुर हैं। इसलिए अछूतों दलित वर्ग अपने हाथों अपनी सुरक्षा कर सकें इसलिए विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की। 30 नवम्बर 1928 को साइमन कमीशन ने भारत में दलितों अछूतों की सामाजिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की थी।

4 नवम्बर 1931 को कम्युनल एवार्ड का निष्पादन किया गया जिसमें दलितों में अछूतों को प्रतिनिधित्व दिया गया। गोलमेज कान्फ्रेंसों में डा. भीमराव आम्बेडकर निर्वाचन का अधिकार व प्रतिनिधित्व का अधिकार (आरक्षण) दिया गया।

प्रथम निर्वाचन में दलितों को दो वोट देने का अधिकार था तथा कुछ सीटें आरक्षित थी जबकि सामान्य जनता को एक वोट देने का अधिकार या ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया कि अछूत लोगों के सच्चे प्रतिनिधि उनके हित की बात करने वाले तथा उनकी पसन्द के प्रतिनिधि चुन कर जायेंगे।

जबकि सामान्य चुनाव क्षेत्र के हिन्दू प्रत्याशियों को दलित वर्ग का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि उनके मतों की संख्या निर्णायक होगी प्रत्येक प्रत्याशी को अछूतों के हार पर वोट की भीख मांगनी पड़ेगी जबकि अछूत प्रत्याशी को सवर्णों के द्वारा पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में दलितों की उन्नति का रास्ता मिल जायेगा। इस कम्युनल एवार्ड के सापेक्ष गांधी जी ने सोचा यदि दलितों को दो मतों का अधिकार मिल गया है सीटें आरक्षित हो गई हैं। अब शीघ्र ही दलित उन्नति कर जायेंगे इन्हें रोकने के लिए दलितों को अधिकारों से वंचित रखने के लिए अनशन प्रारम्भ कर दिया। देश में तमाम नेता तथा जनता डा. अम्बेडकर से गांधी जी के प्राणों की भीख मांगने लगी। तब डा. अम्बेडकर ने कहा तुम लोग भले ही मुझे बाहर लगे म्यूनिसिपैलिटी के प्रकाश स्तम्भ में लटका कर फांसी देकर मार डालो लेकिन मैं गांधी के प्राण बचाने के वास्ते अछूतों के राजकीय हितों की तिलांजलि नहीं दूंगा। 20 सितम्बर 1932 को देश में भूचाल आ गया। यदि गांधी जी को कुछ हो गया तो इस देश के दलितों को? दिया जायेगा ऐसी स्थिति में 24 सितम्बर

1932 को पूना समझौता हुआ जिसमें दलितों के दो वोट का अधिकार समाप्त हो गया कुछ सीटें आरक्षित कर दी गयी जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से चुने जायेंगे। इसलिए डा. अम्बेडकर ने कहा आज के बाद सुरक्षित सीटों पर चुने गये प्रतिनिधि चापलूस और गुलाम पैदा होंगे। इसकी बानगी वर्तमान समय में आरक्षित सीटों पर 1200 विधायक 131 सांसद चुनकर जाते हैं फिर भी प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त हो गया। किसी ने आवाज नहीं उठायी इस लिए ‘गांधी की सन्तानों, पूना पैक्ट को मानो।

राम नहीं कांशीराम चाहिए, रामायण नहीं संविधान चाहिए।। गांधी की संतानों, पूना पैक्ट को मानो, आरक्षण होगा, देश बटेगा।। आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह अधिकार हमारा है।”

संस्थापक/सदस्य गणतंत्र आर्मी शैलेन्द्र कुमार कानपुर देहात

जागृती का दीपक हमेशा जलाये रखो!

राऊंड टेबल कान्फरन्स के लड़ाई की पूर्व डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अपने समाज की मैदानी तैयारी शुरू की। उन का यह आन्दोलन गुलाम को गुलामी का एहसास देने हेतू महत्वपूर्ण रहा। चवदार तलाब का संघर्ष और मनुस्मृति चलाने की घटनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारों सालों से यह समाज मृत अवस्था में था। उनकी चेतना समाप्त हो गई थीं ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करना है तो पहले गुलामों को गुलामी का एहसास करना होगा। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने रात–दिन कड़ी मेहनत से आन्दोलन को खड़ा किया। इस आन्दोलन में उन्हें बहुत दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ा। जागृत समाज आन्दोलन कर सकता है और उसके लिए साधनों को भी जरूरत होती है। साधनों के अभाव से आन्दोलन खत्म हो जाते हैं। ‘मूकनायक’, बहिष्कृत भारत’, ‘जनता’ और ‘प्रबद्ध भारत’ इन समाचारपत्रों ने आन्दोलन में ऊर्जा का निर्माण किया। जिस आन्दोलन के पास अपने अखबार नहीं होते हैं उसकी स्थिति पंख छाटे हुए पंछी की तरह हो जाती है। महापुरुष ने अपने आन्दोलन को पंख भी दिए और ऊर्जा भी! सबसे बड़ी बात शत्रू ने इस आन्दोलन की दखल भी लिया और डरे भी। उन अखबारो में आन्दोलन के ‘डाक्यूमेन्टेशन’ है और वह आन्दोलन के साधन भी है। आन्दोलन की दिशा निर्धारित करने के लिए वह साधन आज बहुत महत्वपूर्ण भी है।

महाड में जो चवदार तलाब का आन्दोलन हुआ वह फ्रेंच राज्यक्रांति से भी बड़ा था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस आन्दोलन का परिणाम सारी व्यवस्था पर दिखाई दिया। इस आन्दोलन पर गांधी की बुरी आँख थी। गांधी के ‘यंग इंडिया’ के पुराने अंकों में इस आन्दोलन के बारे में छपकर आया है। कांग्रेस भी इस आन्दोलन से डर चुकी थी। मगर वे भी इस आन्दोलन को दबाना चाहते थे।

सायमन कमिशन जब भारत में आया तब गांधी और कांग्रेस से उन्हें किन वजह से विरोध किया? उस कमिशन पर ही अपना वर्चस्व चाहिए यह कांग्रेसी नेताओं की इच्छा थी, उसमें गांधी अव्वल थे। गांधी तो हुकुमशहा ही थे, ‘हम करें सो कायदा और इसमें हो ब्राह्मणों का फायदा’ यह उनकी खास नीति थी।

चवदार तलाब के आन्दोलन से ब्राह्मणों की व्यवस्था को जबरदस्त लगा। जब बाबासाहब यह आन्दोलन चला रहे थे, उसी समय उनका बच्चा बीमारी से मर गया। एक तरफ समाज की गुलामी है और दूसरी तरफ बच्चों की बिमारी, उसमें भी बाबासाहब ने कसम ली थी कि, जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। बच्चे का गिरता स्वास्थ्य उनके मन को द्रवित कर देता। उन्होंने जिस परिस्थिति का सामना करके आन्दोलन को खड़ा किया उसमें उनका त्याग और समर्पण यही आन्दोलन की नींव है। उन्होंने दिल्ली में अपने निवास स्थान पर 12 दिसम्बर 1942 को वह याद बयान की जिसे आज भी पढ़ने से रोना आ जाता है। उन्होंने कहा— “दूसरा लड़का गंगाधर हुआ था। देखने में बहुत सुन्दर था। वह अचानक बीमार हो गया। दवा के लिये काफी पैसे नहीं थे। उसकी बीमारी में एक बार तो मेरा मन डाँवाडौल हो गया था कि मैंने सरकारी नौकरी कर ली तो सात करोड़ अछूतों का क्या होगा, जो गंगाधर से ज्यादा बीमार है। ठीक प्रकार से इलाज न होने के कारण वह नन्हा सा बच्चा ढाई साल की आयु में चल बसा। गली के लोग आये। सभी ने बच्चों की मृत देह को ढाकने के लिए नया कपड़ा लाने को कहा और पैसे मांगे! लेकिन मेरे पास उतने पैसे थे ही नहीं। अन्त में मेरी प्यारी पत्नी ने ही अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ कर दिया। उसी से मृत बालक की देह को ढककर लोग शमशान घाट लेकर गए और भूमि में दफना आये! ऐसी थी मेरी

आर्थिक परिस्थिति, मैंने जैसे गरीबी के दिन देखे हैं, उसका अनुभव किसी भी नेता को नहीं होगा।”

डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों से सामना करके आन्दोलन खड़ा किया उसकी वह दर्दनाक याद उन्होंने व्यक्त किया। जिसे पढ़कर या सुनकर कोई भी पत्थर दिल व्यक्ति द्रवित होगा। उनका एक बच्चा मर गया तब चवदार तालाब का आन्दोलन चल रहा था। अपने दुःख को सहकर वे समाज के दुःखो के काँटो को दूर कर रहे थे। उसी दरमियान उनका और एक दूसरा लड़का जिसका नाम राजरत्न था। देखने वह भी बहुत सुन्दर था। उसे दो बार निमोनिया हुआ और उसी में वह मर गया। दूसरी ओर एक दर्दनाक बात यह थी कि अमरावती में अछूतों की बहुत बड़ी परिषद आयोजित की थी और बाबासाहब वहाँ गए थे। तब सभा में ही एक व्यक्ती मंचपर आता है और बाबासाहब के हाथ में एक लिफाफा देता है, जिसमें यह लिखा हुआ था, ‘12 नवम्बर 1927 के दिन बालाराम आम्बेडकर का निधन हुआ।’ वह पढ़कर बाबासाहब को जबरदस्त सदमा पहुँचा परन्तु सामने दूखित, शोषित समाज था उन्हे देखकर खूद पर काबू किया उनके लिए और उनके दुःख को जुबान बनने के लिए संगठित शक्ति खड़ा करना उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। उसी के लिए बाबासाहब ने प्राथमिकता दी। परन्तु सभा में वह दुखभरी बात फैल गयी। परन्तु बाबासाहब उस सभा में डटकर खड़े थे। लोगों को यह आशंका थी कि बाबासाहब अब हमें उपदेश या संदेश दिए बगैर वहाँ से चले जाएँगे। परंतु वैसा नहीं हुआ। बाबासाहब सभा समाप्त होने तक वहीं थे। अपने भाई के अत्यविधी में वे शामिल नहीं हुए। अमरावती से जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने भाई और समाज के बारे में ‘बहिष्कृत भारत’ में इस तरह लिखा— डा.

बाबासाहब आम्बेडकर आन्दोलन के लिए कितने दृढ संकल्पित थे यह इसका जीता जागता नमूना है। उन्होंने अपने महान उद्देश्य के लिए त्याग और त्याग ही किया। जीवन में अगर महान कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए त्याग की भावना बहुत जरूरी है।

महाड के चवदार तालाब का संघर्ष यह मानव इतिहास में महान क्रान्ति है। इस आन्दोलन से गुलाम जागृत हुए. ‘‘मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई तब मैं अंबादेवी के सत्याग्रह के लिए गया था। अमरावती में तारीख 13 नवम्बर को मेरी अध्यक्षता में परिषद आयोजित करना तय हुआ था। उस परिषद को मैं गया था। मेरे अनुपस्थिति में जो 3/4 हजार अछूत भाईयों ने मेरे भाई की अंत्ययात्रा में उपस्थित रहकर जो दुःखद परिस्थिति में सहानुभूति दर्शाई उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ।’’ – भीमराव अम्बेडकर।’’

ब्राह्मणी व्यवस्था पर जबरदस्त हमला हुआ। इस आन्दोलन के लिए जो तैयारी करनी थी वह बौद्धिक जनजागरण के लिए जरूरी थी। उसी आन्दोलन का नतीजा देशव्यापी फैल गया। यह बात तो सच है कि, **जो समस्याओं की निर्मिती करते हैं वे समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकते।** आजादी के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। अस्पृश्यों को कुत्ते–बिल्ली जैसे अधिकार भी नहीं थे। महाड के चवदार तालाब के आन्दोलन से ब्राह्मणों को गुस्सा आया, उससे उनका जहर उगला। सभा लेने के लिए कोई भी जगह तक देने के लिए तैयार नहीं थे। तब वह जगह एक फत्तेहखान नाम के मुसलमान व्यक्ति ने दी। सन 1927 यह साल महाड के आन्दोलन से इतिहास की याद दिलाने वाला हुआ।

डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने इस आन्दोलन के लिए महाड को ही क्यों चुना? 1927 यह साल ही क्यों चुना?

1927 यह साल राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुलेजी का जन्म शताब्दी वर्ष था। राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुलेजी का वह सम्मान था। उनके महान कार्य का सम्मान करने के लिए ही 1927 यह साल चुना गया। महाड यह स्थल आन्दोलन के लिए चुनने के पीछे यह ऐतिहासिक वजह है। महाड यह रायगढ़ जिले में आता है। महाड और रायगढ़ जिले में बहुत कम अंतर है इसी रायगढ़ पर छत्रपती शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। परन्तु इसी रायगढ़ पर पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अत्याचार किया था। उन्हें शूद्र कहकर गाली दी थी। उसी रायगढ़ पर उन्हें पेशवा ब्राह्मणों ने जबर देकर मारा गया था। उसी बात का भी बदला लेने के लिए चवदार तालाब का आन्दोलन करने के पीछे मकसद था। महापुरुषों के आन्दोलन का यही सच्चा इतिहास है। पंडे–ब्राह्मण हमारे इतिहास पर ढेरों बातें बकते हैं, सिखाते हैं परंतु सच्चा इतिहास सामने नहीं आने देते। प्रेरणा जागृत करना या प्रेरणाओं को कैद करना यह इतिहास के सच्चे झूठे साधनों पर निर्भर होते हैं। **ब्राह्मणों ने झूठा इतिहास थोपकर मूलनिवासी बहुजनों की प्रेरणा को कैद कर दिया।** चवदार तालाब का आन्दोलन यह लगभग एक दशक से ज्यादा समय कानूनी रूप से चला डा. बाबासाहब आम्बेडकर ने अपने लेटरहेड पर भवानी यह नागवंशीय कुलदेवता का चिन्ह और शिवाजी महाराज की तलवार की बोधचिन्ह भी इस्तेमाल करते थे। शिवाजी महाराज नागवंशी होने की वजह यह उनका भी सम्मान था। तिलक के अनुयायी और महाड के पण्डे यह चवदार तालाब के विवाद पर अदालत में फालतू युक्तिवाद कर रहे थे। ब्राह्मणों के लिए डा. बाबासाहब आम्बेडकर एक चुनौती बन गए थे। उसी समय में बाबासाहब ने खोती विधेयक भी लाया वह तो ब्राह्मणों के जनेऊ पर हमला था। उन्होंने तो उन की

आर्थिक शोषण की नब्ज को ही काट डाला। इसका परिणाम हुआ की सारा मराठा और कुणबी समाज डा. बाबासाहब आम्बेडकर के साथ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन से पाँच–पाँच हजार की संख्याओं में उस समय मराठा और कुणबियों की विशाल सभाएं हुई। और इन सभाओं में सारे ओबीसीओं ने डा. बाबासाहब आम्बेडकर यह हमारे नेता है यह जाहिर घोषित किया।

चवदार तालाब पानी पीने से ब्राह्मणों की दृष्टि से तालाब अपवित्र हो गया। उन्होंने उस तालाब का ‘शुद्धीकरण’ किया और आन्दोलन कर्ताओं पर हमला करने तक जुर्रत की। मगर हमला करने के लिए पण्डों ने यह तरकीब सोच निकाली कि अछूतों ने तालाब अपवित्र करने के बाद अब वे मंदिर को भी अपवित्र करने निकले हैं। ब्राह्मणों ने हमेशा छल, कपट और प्रतिजागृती का ही सहारा लिया। डा. बाबासाहब आम्बेडकर यह बहुत ही झुंजार नेतृत्व वाले थे। उस समय जैसी परिस्थिति पैदा हुई उसमें सामाना करने की रणनीति भी उन्होंने तुरंत बनाई। चवदार तालाब पर ब्राह्मणों ने न्यायालय से लाया ब्राह्मण बनाम अछूत इस तरह आन्दोलन चला रहा था उस पर ब्राह्मणों ने चालाकी से कानून चवदार तालाब पर स्टे लाकर यह लड़ाई अछूत बनाम अंग्रेज ऐसी कर दी। वह आन्दोलन दिशाहीन न हो इसकी खबरदारी बाबासाहब ने ली। सही मायने में वह बाबासाहब के नेतृत्व की कसौटी थी। बाबासाहब ने रणनीति बनाई, फिर से पासा पलट दिया और वह संघर्ष ब्राह्मण बनाम अछूत ऐसा करने के लिए मनुस्मृति जलाने का निर्णय लिया। बाबासाहब इसी वजह से ब्राह्मणों के लिए चुनौती सिद्ध हो गए। क्योंकि शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता बाबासाहब अम्बेडकर में थी।

साभार :

बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने, क्यों और कैसे की

पू.सं. 48 से 54 तक। लेखक : विलास खरात

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें ।

द्रविड़ भारत

13

अक्टूबर–2026

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें ।

द्रविड़ भारत

14

अक्टूबर–2026

बाबा साहेब की नजर में बुद्ध

बुद्ध की मूर्ति को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भदन्त आनन्द कौशल्यायन जी से दादर मुंबई के मेले में सवाल किये थे— “भन्ते जी आपको बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसन्द है? भदन्त आनन्द कौशल्यायन जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से जवाब दिया था कि ध्यानमुद्रा की साधना में लीन बुद्ध की मूर्ति हमें अधिक पसंद है।” बाबा साहेब अम्बेडकर ने भदन्त आनन्द कौशल्यायन जी के विचारों को खण्डित करते हुए कहा था “मैं ध्यान साधना में बैठी बुद्ध की मूर्ति को बिल्कुल ही नहीं पसंद करता हूँ। जो बुद्ध ने कहा चरथं भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुक्म्पाय, अत्तनुहिताय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण के लिए प्रतिदिन नगर भ्रमण करते हुए समाज को मार्ग दर्शन करते थे। ऐसे ही प्रतिदिन नगर भ्रमण करने वाला प्रचारक बौद्ध भिक्खु मुझे अधिक पसन्द है।”

बौद्ध भिक्खु पंडा, पुजारी या मठाधीश नहीं होते हैं। बौद्ध भिक्खु को बौद्ध विहारों में कभी भी दान नहीं देना चाहिए। बौद्ध विहार में आए हुए भिक्खु को हाथ में माइक देना चाहिए और जन जागृति के लिए सधम्म देशना कराना चाहिए और भिक्खु के रात्रि विश्राम के लिए हर प्रकार का उचित उपलब्ध साधन देना चाहिए, भोजन व्यवस्था करना चाहिए। भिक्खु को किसी भी बुद्ध विहार में 3 दिन से अधिक नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि भिक्खु किसी भी बुद्ध विहार में मात्र 3 दिन ही ठहर सकता है। चौथे दिन (भिक्खु) को धम्म देशना हेतु दूसरी जगह प्रस्थान कर जाना चाहिए। भ्रमण में दरवाजे पर आये हुए बौद्ध भिक्खु को सम्मान देना चाहिए।

भोजन दान, आवश्यक सामग्री, आर्थिक दान अवश्य देना चाहिए एवं बौद्ध भिक्खुओं से सधम्म का ज्ञान लेना चाहिए। बौद्ध भिक्खु सधम्म के

फुलवारी (बाग) होते हैं तथा गृहस्थ माली होते हैं। कृषक अन्न की खेती करते हैं और भिक्खु लोग सधम्म की खेती करते हैं।

जब बरसात हो रही हो तब बौद्ध भिक्खु वर्षावास कर। जब बरसात बन्द हो जाये तो भ्रमण कर सधम्म का प्रचार करें, बुद्ध सधम्म का प्रकाश करें। बौद्ध भिक्खु कभी भी कोई संस्कार न कराय, संस्कार कराना, माता पिता, दाद—दादी, मामा—फूफा एवं बौद्धाचार्य का काम है उपासक का काम है। बौद्ध भिक्खु परित्राण पाठ न कराय और पंचशील का धागा न बांधे।

पंचशील भारतीय संविधान की धारा है, जो सबको आचरण में लाना चाहिए। परित्राण पाठ (गाथा) सत्यनारायण कथा की तरह भ्रमित करने का ब्राह्मणी सूत्र है। बौद्ध भिक्खु

साभार :
आधुनिक बुद्ध बाबा साहेब की बाइस प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण पेज संख्या 57 से 58 तक श्यामलाल बौद्ध

हमें न बिकने वाले समाज का निर्माण करना है —कांशीराम

(नारायणगढ़)

हरियाणा के जिला अम्बाला के अन्तर्गत नारायणगढ़ में 3 जुलाई 1983 को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें दूर—दराज तक के लोगों ने ट्रकों, बसों, ट्रेक्टर ट्रोलियों, साईकिलों तथा पैदल आकर भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर जनपद के लोगों ने मा. कांशीराम जी को एक रुपये के सिक्कों से तोला जिसमें 11600 रुपये के सिक्के थे।

जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मा. कांशीराम जी ने हाल ही में जम्मू—कश्मीर चुनाव में प्राप्त अपने अनुभवों को बताया। आपने कहा कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस दलित—शोषित समाज की बिकने की आदत को बदलकर न बिकने वाले समाज का निर्माण करना है। हमें अपने स्वयं के पैसों और परिश्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।

इस अवसर पर ओमप्रकाश ने

कांशीराम जी का स्वागत किया। कु. शम्मी, कु. दया एवं कु. रजनी, फकीर चन्द नागरा (सरपंच) ने अपने विचार व्यक्त किये।

(बहुजन संगठक, वर्ष 4, अंक 16, 25 जुलाई, 1983)

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खण्ड—2 पेज संख्या 206 ए. आर. अकेला

Youtube पर @dravid bharat hindi को Subscribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत

15

अक्टूबर—2026

गणतंत्र आर्मी

(द्रविड़ भारत समाचार पत्रिका द्वारा संचालित)



पंजीयन संख्या – RNI No. : UPHIN-2009/29369

सदस्यता आवेदन फार्म

आवेदक का नाम

पिता का नाम

पत्रचार का पता

स्थायी पता

आधार संख्या

मोबाइल नं.

ई-मेल पता

मैंने गणतंत्र आर्मी का नियम व विधान पढ़ लिया है। निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा कर दिया है। नियम और विधान के अनुसार कार्य करने के लिए सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। सदस्यता प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक

हस्ताक्षर -

नाम -

पता -

मो. नं. -

16